(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

शेर सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि

रस्म मुकदमाः–251–क, 209 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–217 / 2024 (GCMS No. 2024 / 500)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण श्री राजवीर भादू ने संशोधित प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एसएलडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 19 / 17 पत्थर नं. 70 / 381 (20) के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 24 की 2.530 हैक्टर, पत्थर नं. 70 / 382 मु.न. 33 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 की 1.518 हैक्टर, पत्थर नं. 71 / 381 मु.नं. 19 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 की 2.277 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से वाके चक 13 एसएलडी के खाता संख्या 105 / 85 के पत्थर नं. 71 / 381 (19) के किला नं. 11 / 2 में 0.228 हैक्टर, 12–19 / 0.506 हैक्टर, 21 / 2 में 0.228 हैक्टर, 22 / 0.253 हैक्टर=1.433 हैक्टर, पत्थर नं. 72 / 381 (18) के किला नं. 14 ता 17, 23 ता 25=1.771 हैक्टर कुल 3.214 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एसएलडी के पत्थर नं. 71 / 381 (19) के किला नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृतशुदा रास्ता मौका पर चल रहा है तथा इस रास्ता से अप्रार्थी–3 के पत्थर नं. 71 / 381 (19) के किला नं. 11 / 0.019 हैक्टर, 12 में 0.019 हैक्टर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व में चालू रास्ता से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर रहें हैं। किन्तु उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नही है। यदि अप्रार्थी संख्या–3 ने रास्ता बंद कर दिया तो प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने के लिये रास्ता बंद हो जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा कोई डीएलसी राशि अथवा भूमि नही लेने का निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक भैरूपुरा अनुसार पत्थर नं. 71 / 381 के किला नं. 11 / 0.019, 12 / 0.019 हैक्टर रास्ता मौका पर चल रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा ना ही विवाद / स्थगन / रहन आदि बताया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एसएलडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 19 / 17 पत्थर नं. 70 / 381 (20) के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 24 की 2.530 हैक्टर, पत्थर नं. 70 / 382 मु.न. 33 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 की 1.518 हैक्टर, पत्थर नं. 71 / 381 मु.नं. 19 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 की 2.277 हैक्टर कुल 6.325 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या–03 के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 71 / 381 (19) के किला नं. 11 / 2 में 0.228 हैक्टर, 12–19 / 0.506 हैक्टर, 21 / 2 में 0.228 हैक्टर, 22 / 0.253 हैक्टर=1.433 हैक्टर, पत्थर नं. 72 / 381 (18) के किला नं. 14 ता 17, 23 ता 25=1.771 हैक्टर कुल 3.214 हैक्टर खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 71 / 381 (19) के किला नं. 11 / 0.019, 12 / 0.019 हैक्टर उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त [illegible] रास्ता के बदला में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम अंकित खातेदारी भूमि चक 13 एसएलडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 19 / 17 की 6.325 हैक्टर भूमि में से पत्थर नं. 71 / 381 के किला नं. 23 में पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण दिशा में 0.038 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या–03 के नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। उक्त 0.038 हैक्टर रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–02 के हिस्सा में से कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:05 IST
Reason: SelfAttested